E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(1): 349-352
Received: 11-12-2021
Accepted: 14-01-2022

रुचि सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. के के सिंह
सेवानिवृत्त प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
रुचि सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रुचि सिंह एवं डॉ. के के सिंह

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का निर्माण किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, जान से मारने से लेकर बलात्कार तक की धमकियां सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से दी जाती हैं और उन्हें शेयर भी किया जाता है। सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही है। पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत अपने साथ हुए शोषण के बारे में भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन, इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर महिलाओं ने अपने निजी मसले पर खुलकर बोलना चुना, जहां उन्हें सहयोग मिला। इस तरह से हाशिए पर रही महिलाओं को व्यक्तिगत और सांगठनिक रूप से एक दूसरे का हौसला मिला।

कूटशब्द : रीवा जिला, घरेलू महिला हिंसा, संचारक्रांति, भूमिका

1. प्रस्तावना:
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 35 प्रतिशत महिलाएं किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि Social Media पर दुनिया की करीब 60 प्रतिशत महिलाओं के के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है.
भारत समेत 22 देशों की 14 हज़ार से ज्यादा महिलाओं के बीच किया गया है. सर्वे में शामिल महिलाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच थी. इस सर्वे के मुताबिक 39 प्रतिशत महिलाओं के साथ Online हिंसा की घटनाएं facebook पर होती हैं, जबकि Instagram पर हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या 23 प्रतिशत है. 14 प्रतिशत महिलाओं के साथ Whatsapp के माध्यम से व्दसपदम हिंसा की जाती है, जबकि Snapchat पर 10 प्रतिशत, ज्पजजमत पर 9 प्रतिशत और ज्पा जवा पर 6 प्रतिशत महिलाओं के हिंसा का सामना करना पड़ता है।
Planet International नाम की एक संस्था की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60 प्रतिशत महिलाए Social Media पर किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती है. इस वजह से 20 प्रतिशत महिलाओं को अपना Social Media Account बंद भी करना पड़ता है।
हिंसा अगर किसी Virtual Platform पर हो रही है तो भी वो असल जिंदगी में होने वाली हिंसा जितनी ही खतरनाक है। Via sat Savings-Com नाम की एक Website के सर्वे के मुताबिक इसी हिंसा और छेड़छाड़ की वजह से facebook पर 74 प्रतिशत महिलाओं को किसी ना किसी को Block करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर पुरुषों के मुकाबले दोगुनी महिलाएं किसी ना किसी को Block करती हैं। आप अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, घर के आस पास ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर सकते हैं, ब्ब्ज्ट कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन Social Media Accounts को सुरक्षित बनाने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। Social Media Platforms का मकसद वैसे तो आपको दूसरे लोगों के करीब लाना होता है।[1]
एक अंतर्राष्ट्रीय Website की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा व्दसपदम हिंसा की आशंका होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक Online हिंसा की 26 प्रतिशत घटनाओं के पीछे Facebook जिम्मेदार होता है। मोबाइल फोन के जरिए Online हिंसा की 19 प्रतिशत घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि Online हिंसा के सिर्फ 33 प्रतिशत मामलों में ही Service Provider की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और जिन मामलों की जानकारी Authorities को दी जाती है, उनमें से सिर्फ 41 प्रतिशत मामलों की ही जांच हो पाती है।

दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां से महिला के खिलाफ हिंसा की खबरें न मिले। इसी तरह आभासी दुनिया इंटरनेट, सोशल मीडिया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर भी महिलाएं साइबर हिंसा और ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। ट्रोलिंग यानि भद्दे अपशब्द, बदलसूकी, जान से मारने की धमकियां, बलात्कार और मुंह पर तेजाब फेंकने तक की बातें महिलाओं को इंटरनेट स्पेस में सुनने को मिलती हैं। यह इक्कीसवीं सदी का इंटरनेट युग है। कोविड–19 महामारी के बाद से तो इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता और अधिक बढ़ गई है। ऐसे समय में साइबर क्राइम में भी बढ़त हुई है। एक तरफ इंटरनेट के माध्यम से देश के दूर कोनों तक में पहुंचकर हाशिये पर रह रहे लोगों की आवाज़ को सामने लाया जा रहा है। वहीं धार्मिक और जातिगत हिंसा, भेदभाव और लिंगभेद से इंटरनेट भी अछूता नहीं रहा है। यहां भी महिलाओं पर आसानी से हिंसा का वार किया जा रहा है।
सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर भी ऑनलाइन हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव के कारण समाज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह और पुरुषों से पीछे हैं लेकिन धीरे–धीरे बदलाव आ रहे हैं। वे ऑनलाइन अपनी मौजूदगी तेज़ी से दर्ज करा रही हैं। मुख्यधारा को प्रतिस्थापित करते हुए तमाम वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स उभर रहे हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 'स्पेस' हैं। महिलाएं शिक्षित और जागरूक हो रही हैं, वे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक रूप से भागीदारी कर रही हैं।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

संचार क्रांति के विकास का एक सकारात्मक पहलू यह है कि हमारा संपर्क एक दूसरे से बना रहे। मगर जब उस तकनीक का इस्तेमाल नकारात्मक के साथ किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते है। संचार क्रांति के विकास ने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के लिए एक और द्वार खोल दिया है। अब महिलाओं को परिवार, दफ्तर, सार्वजनिक स्थलों पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है जो और भी ज्यादा खतरनाक और मानसिक प्रताड़ना देने वाला है। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जैसे – व्हाट्सअम, फेसबुक, मैंसेजर, इंस्ट्राग्राम आदि से जहाँ लोग आपस में जुड़ रहे है, वहीं दूसरी तरफ इससे धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, धमकिया देने, बदनाम करने जैसे कृत्यों से महिलाएँ टारगेट हो रही है। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. शोध की परिकल्पनाएँ :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् हैः–

- सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही है।
- पितृ सत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का महत्व अधिक होने के कारण घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न के मामले अधिक आते है।

4. उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया हैः–

- शोध क्षेत्र में सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की स्थिति का अध्ययन करना।
- पितृ सत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का महत्व अधिक होने के कारण घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों का अध्ययन करना।

5. शोध समस्या का सीमांकन :

5.1 भौगोलिक परिसीमन – प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र रीवा जिला है। इसके अन्तर्गत सभी विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

5.2 विषयवस्तु का परिसीमन – अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन, जिला अन्तर्गत घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

6. शोध विधियाँ :

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 साक्षात्कार विधि – शोध क्षेत्र में समन्वित घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में महिलाओं से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

7. न्यादर्श चयन :

रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित सभी विकासखण्डों से 100–100 महिलाओं से कुल 900 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण :

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – आशारानी व्होरा (2005)[2], आहूजा, राम, रावत प्रेम (2016)[3], ममता (2010)[4], शर्मा, मंजू (2008)[5], शर्मा, पूजा (2012)[6], शर्मा, जी.एल. (2015)[7]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय :

रीवा जिला 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81. 2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक 1: सोशल मीडिया के उपयोग की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	व्हाट्सअप	384	42.67
2.	फेसबुक	164	18.22
3.	मैंसेजर	118	13.11
4.	इस्ट्राग्राम	54	6.00
5.	उपरोक्त सभी	180	20.00
योग		**900**	**100.00**

स्त्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

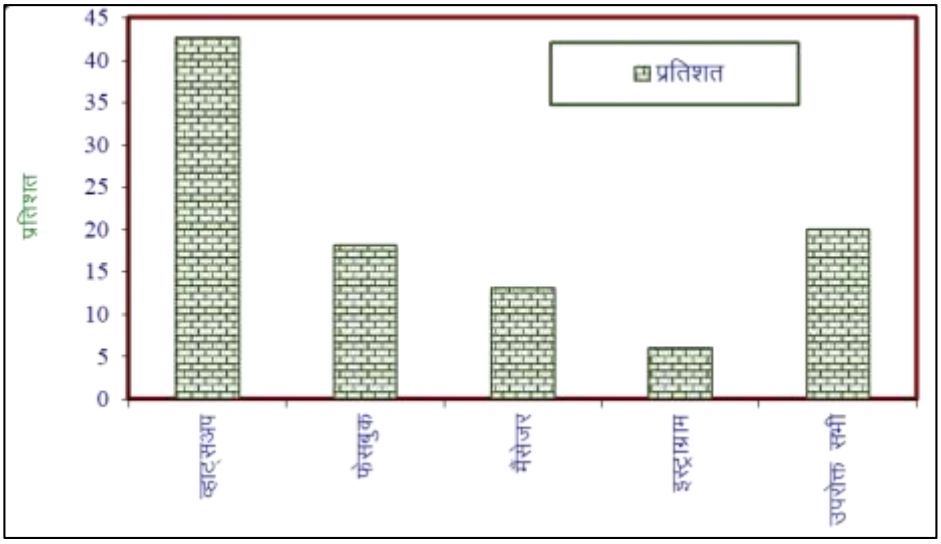

आरेख 1: सोशल मीडिया के उपयोग की स्थिति

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 42.67 प्रतिशत व्हाट्सअप, 18.22 प्रतिशत फेसबुक, 13.11 प्रतिशत मैंसेजर, 6.00 प्रतिशत इस्ट्राग्राम और 20.00 प्रतिशत सभी सोशल मीडिया को चलाते है। आम हो या ख़ास हर वह महिला जो भी इंटरनेट पर स्वतंत्र राय जाहिर करती है, अपने निजी कड़वे अनुभव सामने रखती है या फिर लीक से हटकर काम करती है तो रूढ़िवाद सोच के व्यक्तियों के निशाने पर आ जाती है। अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम करने वाली महिलाओं को बेवजह सुर्खियां बनाकर ट्रोल किया जाने लगता है। महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, जान से मारने से लेकर बलात्कार तक की धमकियां सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से दी जाती हैं और उन्हें शेयर भी किया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही है।

सारणी क्रमांक 2: विभिन्न पूरक प्रश्नों के सापेक्ष पितृ सत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित अभिमत

क्र.	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	क्या आप अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते है?	389	43.22	511	56.78
2.	क्या महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज (आहे भरता/ व्यथित होता है।)	422	46.89	478	53.11
3.	पितृसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भांति ग्रसित कर लेता है	636	70.67	264	29.33
4.	आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती है	599	66.56	301	33.44
5.	अपने जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती है।	605	67.22	295	32.78

स्त्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 43.22 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते है। 46.89 प्रतिशत महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज आहे भरता है। 70.67 प्रतिशत प्रितसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भांति ग्रसित कर लेता है। इसी प्रकार 66.56 प्रतिशत आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती है। 67.22 प्रतिशत पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती है। शोध में इस बात का ज़िक्र किया जा चुका है कि इंटरनेट पर होने वाली हिंसा का महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं। इंटरनेट ट्रोलिंग का सीधा संबध पितृसत्ता से जुड़ा है। यह मानसिकता मानती है कि औरतें खुलकर अपनी बात न कहें। महिलाओं की अपनी कोई राय नहीं होती है, पुरूष के आदेश पर चलना ही उनका कर्तव्य होता है। महिलाओं की आवाज को नियंत्रित करना पितृसत्ता के लिए आवश्यक होता है। महिला को अपनी पहचान हमेशा एक पुरूष के साये में रखनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता के कारण इंटरनेट ऊंची जाति, वर्ग से आनेवाले लोगों का स्पेस बनता जा रहा है। वे महिलाएं जो सामाजिक अन्याय के विरूद्ध अपनी आवाज़ मुखर रखती है, राजनीतिक रूप से स्पष्ट तौर पर अपनी बात जाहिर करती है उनको सोशल मीडिया पर लिंगभेद का अधिक सामना करना पड़ता है। वहीं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों को तो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष :

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है–

- शोध क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत व्हाट्सअप, 18.22 प्रतिशत फेसबुक, 13.11 प्रतिशत मैंसेजर, 6.00 प्रतिशत इस्ट्राग्राम और 20.00 प्रतिशत सभी सोशल मीडिया को चलाते है।
- शोध क्षेत्र के 43.22 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते है। 46.89 प्रतिशत महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज आहे भरता है। 70.67 प्रतिशत प्रितसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भांति ग्रसित कर लेता है। इसी प्रकार 66.56 प्रतिशत आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती है। 67.22 प्रतिशत पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती है।
- पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत अपने साथ हुए शोषण के बारे में भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन, इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर महिलाओं ने अपने निजी मसले पर खुलकर बोलना चुना, जहां उन्हें सहयोग मिला। इस तरह से हाशिए पर रही महिलाओं को व्यक्तिगत और सांगठनिक रूप से एक दूसरे का हौसला मिला।

संदर्भ

1. DNA Analysis: सोशल मीडिया पर कितने 'असामाजिक लोग', ऐसे करते हैं महिलाओं का उत्पीड़नए Zee News Desk, Last Updated: Oct 07, 2020, 09:45 AM IST.
2. आशारानी व्होरा. (भारतीय समाज में स्त्री, नटराज प्रकाशन, दिल्ली, 2005, पेज नं. 40.
3. आहूजा, राम, रावत प्रेमण सामाजिक समस्याए, महिला के विरुद्ध हिंसा, तृतीय संस्करण, रावत पब्लिकेशन, 2016, 222–234.
4. ममता. घरेलू हिंसा, अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरुकता, रिगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, पृ. 77–81.
5. शर्मा, मंजू. 'नारी शोषण और मानवाधिकार' प्रकाशन राज पब्लिशिंग हाउस 44, परनामी मन्दिर जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008.
6. शर्मा, पूजा. महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012 पृ. 64–65.
7. शर्मा, जी.एल. सामाजिक मुद्दे, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा : घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, बंगलौर पेज, 2015, 220–221.